

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग.

शासन राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

—:: प्रारंभिक अधिसूचना ::—

पत्र क्र./1540 /भू-अर्जन/2022,

कोरबा, दिनांक 16 /02/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम(6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है—

अनुसूची

भूमि का प्रकार							
जिला	तहसील	भूमि का प्रकार ग्राम/प.हं.न.	खं.न.	क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	
कोरबा	कटघोरा	मोंगरा/43	कालम सलग्न (कुल खसरा नं. 61)	कालम सलग्न (कुल रकबा 4.583 हे.)	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोरबा	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु	
ख.न.	क्षेत्रफल (हे. में)	ख.न.	क्षेत्रफल (हे. में)	ख.न.	क्षेत्रफल (हे. में)	ख.न.	क्षेत्रफल (हे. में)
4	5	4	5	4	5	4	5
196, 199, 203/2, 204	0.272	259/4	0.129	309	0.024	279/7	0.016
207/3	0.056	258/3	0.008	311/1	0.028	305	0.004
207/4	0.144	259/2	0.020	294/1	0.144	310	0.004
209/1, 210/1	0.202	259/3	0.020	286/1, 287/1	0.040	284/2	0.024
209/2, 210/2	0.202	259/1	0.020	293	0.012	321/7	0.020
217	0.271	259/7	0.172	288	0.032	284/6	0.032
224/1	0.091	325/4	0.052	289	0.080	321/2	0.032

224/3	0.154	325/2	0.036	206/9	0.040	321/1	0.020
225/1	0.146	246/6	0.064	207/7	0.240	321/8	0.039
225/2	0.073	225/3	0.048	245/1	0.109	311/2	0.028
225/3	0.048	318	0.150	245/2	0.031	259/4	0.012
224/2	0.092	308	0.028	246/1	0.101	207/1	0.020
248/2	0.092	286/2, 287/2	0.064	246/2	0.049	246/4	0.020
256	0.216	307	0.032	246/5	0.093	योग	4.583
258/7	0.081	294/2	0.080	255	0.008		
258/9	0.065	306	0.072	325/1	0.081		

- यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयम् अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला-कोरबा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(रानू साहू)

कलेक्टर,
जिला-कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग. शासन


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
क्रमांक 1, कटघोरा


तहसीलदार
कटघोरा
जिला-कोरबा (छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन राजस्व
एवम् आपदा प्रबंधन विभाग**

क्र. / 1939 / भू-अर्जन / 2022,

कोरबा, दिनांक 16 / 07 / 2022

—:: अधिसूचना ::—

(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत)

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के लिए कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तारीख 06/07/2020 को किया गया था। जिसके पूर्व प्रथम सामाजिक समाघात दिनांक 15/07/2019 को कार्यवाही हुआ था। जिसमें ग्राम वासियों के द्वारा सर्वसम्मती से सिचाई परियोजना का निर्माण कार्य के लिये भू-अर्जन के लिये प्रस्ताव पारित हो चुका है। क्योंकि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी फैलने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया था जिसके रोक थाम हेतु पूरे प्रदेश में लाक डाउन किये जाने के फलस्वरूप भू-अर्जन प्रकरण प्राप्त आपत्तियों की निराकरण किये जाने में विलम्ब होने के कारण दिनांक 06/07/2021 तक प्रारंभिक अधिसूचना (धारा-11) नहीं किया जा सका अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार बारह मास वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है।

ग्राम -मोंगरा, प.ह.न.-43, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा छ.ग.						
भूमि का विवरण					धारा 12 प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का विवरण
जिला	तहसील	भूमि का प्रकार ग्राम/प.ह.न.	कुल ख.न.	कुल क्षेत्रफल (हे. में.)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	कटघोरा	मोंगरा/43	61	4.583	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोरबा	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


अनुविभागाध्यक्ष (छ.ग.)
कटघोरा (छ.ग.)

(रानू साहू)

कलेक्टर,

जिला-कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छ.ग. शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग